

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF SURINAME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Suriname hereinafter referred to as the contracting parties.

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Suriname in the realms of art, culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health and mass media of information and education.

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:-

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, public health, mass media of information and education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE - 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:-

- (a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;
- (b) reciprocal visits of representatives of educational literary, scientific, medicinal, artistic, sports and journalists, associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- (c) exchange of materials in the fields of cultures, science, education, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible exchange of art specimen; and
- (d) reciprocal facilities in regards to visits by archaeologists of the one country to the other enabling them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.



ARTICLE - 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking study in its institutions of higher education and research laboratories.

ARTICLE - 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

ARTICLE - 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.



ARTICLE - 6

The Contracting Parties shall subject to their domestic laws, regulations and general policy in this regard, facilitate and promote:-

- (a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions;
- (c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- (d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE - 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries.

ARTICLE - 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.



ARTICLE - 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits of the other Contracting Party or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any such institution is established under this Article.

ARTICLE - 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement a Joint Committee may be established by the Contracting Parties, when considered necessary consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties alternately in New Delhi and Paramaribo. The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating cooperation programme and recommending any



items of interest to either party in the field envisaged in the present Agreement, and also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE - 11

The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other Contracting Party a six months prior notice intimating its intention to terminate the present Agreement.


IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties have affixed their seals thereto.

DONE at Paramaribo on twenty second day of the
September month of the year one thousand nine hundred
ninety two in two originals, each in Hindi, Dutch and
English languages, all the texts being equally authentic
except that in case of divergence the English text shall
prevail.



For the Government of
the Republic of India

{Eduardo Faleiro}
Minister of State for
External Affairs



For the Government of
the Republic of Suriname

(SUBHAS CH. MUNGRA)
Minister of Foreign
Affairs

भारत गणराज्य की सरकार
और
सुरीनाम गणराज्य की सरकार
के बीच
सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और सुरीनाम गणराज्य की सरकार
जिन्हें इस करार में इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है :

घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और उन्हें विकसित
करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर ; और

भारत और सुरीनाम के बीच कला, संस्कृति, शिक्षा, जिसमें
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधि शामिल है, खेल-कूद,
जल-स्वास्थ्य और सुव्यवस्था तथा शिक्षा के जल-सम्पर्क माध्यमों के क्षेत्र में हर
सम्भव तरीके से सम्बन्धों और आपसी समझबुझ को संबंधित और विकसित
करने की इच्छा से :

निम्नलिखित करार सम्पन्न करने पर सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद- एक

दोनों संविदाकारी पक्ष कला और संस्कृति, शिक्षा, जिसमें
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधि शामिल है, जल-स्वास्थ्य,
सुव्यवस्था और शिक्षा के जल सम्पर्क माध्यम, खेल-कूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों
में सहयोग को सुविधाजनक बनाएंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे ताकि इन
क्षेत्रों में उनकी अपनी-अपनी संस्कृतियों तथा गतिविधियों के बेहतर ज्ञान की
दिशा में योगदान दिया जा सके ।

K

or

अनुच्छेद- दो

दोनों संविदाकारी पक्ष बिम्बलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें सुविधाजनक बनाएंगे :-

1. (अ) व्याख्यात देने, अध्ययन दौरों और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों की एक-दूसरे देश की यात्राएं ;
1. (ब) शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, कला, खेल-कूद और पत्रकारों के प्रतिनिधियों की एक-दूसरे देश की यात्राएं, कांग्रेसों, सम्मेलनों, विचार-मोर्चियों तथा सेमिनारों का आयोजन और उनमें भाग लेना ;
1. (ग) कला, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्रों में सामग्रियों का आदान-प्रदान, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक तथा खेल-कूद प्रकाशकों का अनुवाद और उनका आदान-प्रदान तथा जहां सम्भव हो कलात्मक नमूनों का आदान-प्रदान ; और
1. (घ) पुरातत्वविदों की एक-दूसरे देश की यात्राओं के संबंध में पारस्परिक सुविधाएं ताकि वे खुदाई का अनुभव प्राप्त कर सकें और पुरातत्व अनुसंधानों को संरक्षित और प्रदर्शित कर सकें और प्रशिक्षण प्रयोजनों तथा नमूनों अथवा निक्षेपण के आदान-प्रदान के संबंध में भी उनकी यात्राओं के लिए पारस्परिक सुविधाएं ।

अनुच्छेद- तीस

दोनों संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे देश के उन छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएं और छात्रवृत्तियां देने की कोशिश

करेंगे जो उनके उच्च शिक्षा और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहते हैं ।

अनुच्छेद- चार

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष उस परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल करेगा जिसके अन्तर्गत अन्य देश में दिए गए डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा विश्वविद्यालय की उपाधियों को मान्यता दी जा सके जिससे स्वयं उनके शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में अध्ययन किया जा सके ।

अनुच्छेद- पाँच

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से दूसरे पक्ष के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद- छह

संविदाकारी पक्ष अपने-अपने राष्ट्रीय काबूओं, विनियमों तथा सामान्य नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएँगे और उन्हें संबोधित करेंगे :-

1. कलाकारों तथा कृत्य और संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
2. कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
3. फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों, रिकार्डिंगों और डिस्क तथा टेप पर रिकार्डिंगों का आदान-प्रदान ;
4. चलचित्रकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और एक-दूसरे देश के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद- सात

संविदाकारी पक्ष दोनों देशों के बीच खेल-कूद दलों की यात्राओं की प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- आठ

संविदाकारी पक्ष यथासम्भव इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि उनके शैक्षिक संस्थाओं के लिए विद्यार्थित पाठ्य-पुस्तकों विशेषकर इतिहास और भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों में एक-दूसरे देश के बारे में तथ्यों की कोई गलती न हो अथवा उन्हें गलत रूप से प्रस्तुत न किया गया हो ।

अनुच्छेद- नौ

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने कानूनों, विनियमों तथा इस संबंध में सामान्य नीति के अनुसार अपने प्रदेश में दूसरे संविदाकारी पक्ष अथवा दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ऐसे सांस्कृतिक संस्थाओं अथवा मैत्री एशोसियेशनों का स्वागत करेंगा जो शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं ; ऐसा माना जाएगा कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी संस्था का स्थापना करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी ।

अनुच्छेद- दस

मौजूदा करार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक समझा जाएगा, संविदाकारी पक्षों द्वारा एक संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें दोनों सरकारों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि रहेंगे और जिसकी बैठकें दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच परस्पर सहमति से कई दिल्ली और पारामारिबो में बारी-बारी से होंगी । यह संयुक्त समिति मौजूदा करार के कार्यक्रम की आवधिक रूप

से समीक्षा करने, सहयोग कार्यक्रम तैयार करने में संबंधित सरकार को सलाह देने और मौजूदा करार में ब्रिहित क्षेत्रों में किसी भी पक्ष की रुचि की किसी भी मद के बारे में विचारण करने और ऐसे किसी भी तरीके के बारे में सलाह देने के लिए उत्तरदायी होंगी जिससे करार के कार्यक्रम में सुधार लाया जा सके ।

अनुच्छेद- ग्यारह

मौजूदा करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा । यह पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और उसके बाद पाँच-पाँच वर्ष के और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जाएगा बशर्ते कि कोई संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को मौजूदा करार को समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना छह महीने पहले न दे दे ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप संविदाकारी पक्षों के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मोहर लगाई है ।

आज, इसकी सब एक हजार बी सौ बयाबवे वर्ष के सितम्बर मास के बाइसवें दिन हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न ; सभी पाठ समाज रूप से प्रमाणिक हैं । संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से




। एडुआर्ड रेड्डी ।

विदेश राज्य मंत्री

सुरीनाम गणराज्य की सरकार

की ओर से



। लु म/च चन्द्रा ।

। लु म/च चन्द्रा ।

सुरीनाम विदेश मंत्री